

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1976/पीव 27, 1897

No. 33]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1976/PAUSA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January 1976

The following notification made by the President on the 15th January, 1976 is published for general information:—

S.O. 42(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule annexed hereto subject to the modifications, if any, specified in that Schedule and the following further modifications, namely:—

(1) Any reference in the said enactments to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence, in that State:

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary, the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of each such enactment for the commencement thereof, the provisions of each such enactment shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of any enactment and for different areas in the State of Sikkim and any reference in any such provision to the commencement of the Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision in the area where it has been brought into force.

THE SCHEDULE

Year	No.	Short title	Modifications
1	2	3	4
1881	26	The Negotiable Instruments Act, 1881	
1949	10	The Banking Regulation Act, 1949	
1955	23	The State Bank of India Act, 1955	

F. A. AHMED,
PRESIDENT.

[No. S-12014/3/75-SR, Vol. II]

S. S. SIDHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1976

राष्ट्रपति द्वारा 15 जनवरी, 1976 को की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण का जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

का० आ० 42 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371च के खण्ड (ड) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का विस्तार उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों, यदि कोई हों, तथा निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन सिक्किम राज्य पर करते हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त अधिनियमितियों में, सिक्किम राज्य में ऐसी विधि, जो प्रवृत्त नहीं है या ऐसे कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं है, के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस राज्य की तत्समान प्रवृत्त या तत्समान विद्यमान कृत्यकारी के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा ;

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी कौन है या यदि ऐसा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह विनिश्चित करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चित्य अन्तिम होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिनियमित के सुसंगत उपबन्ध में, यदि कोई हो, उसके प्रारम्भ की बाबत अन्तिम किसी बात के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक अधिनियमित के उपबन्ध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु किसी अधिनियमित के विभिन्न उपबन्धों और सिक्किम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे उपबन्ध में, अधिनियमित के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन, उस क्षेत्र में, जहां वह प्रवृत्त किया गया है उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा।

अनुसूची

वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	उपान्तरण
1	2	3	4
1881	26	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	
1949	10	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	
1955	23	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955	

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० एस-12014/3/75-एस ग्रांर, खण्ड II]

एस० एस० सिद्ध, संयुक्त सचिव ।

